



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)
National Water Development Agency
Ministry of Jal Shakti, Government of India
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

nwda.gov.in



मिसिल सं० 10/12/2021-प्रशा./3019-55

दिनांक: 04 अप्रैल, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दरों में दिनांक 01.01.2025 से संशोधन करने के संबंध में ।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1(1)/2025-ई-11 (बी) दिनांक 02.04.2025 के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर को 01.01.2025 से 53% से 55% की गई है ।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि रा.ज.वि.अ. के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2025 से देय महंगाई भत्ता की मौजूदा दर 53% से बढ़ाकर 55% किया गया है ।

संलग्न: यथोपरि ।


(खुशाल सिंह)

उपनिदेशक (प्रशा.)

प्रतिलिपि:

1. मुख्य अभियंता (उत्तर)/(दक्षिण), रा.ज.वि.अ., लखनऊ/हैदराबाद ।
2. निदेशक (तक./एससीएलआईआर/एमडीयू/वित्त/प्रशासन) रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली ।
3. अधीक्षण अभियंता (उत्तर/दक्षिण), रा.ज.वि.अ., पालिका भवन, नई दिल्ली ।
4. सभी अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, रा.ज.वि.अ. ।
5. सभी कार्यपालक अभियंता, अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ. ।
6. सहायक अभियंता, अन्वेषण उप-प्रभाग, रा.ज.वि.अ., जयपुर/पन्ना ।
7. सहायक निदेशक (रा.भा.), रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली ।
8. लेखा अधिकारी, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली ।
9. बेवमास्टर, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली ।
10. कार्यालय आदेश फाईल ।
10. नोटिस बोर्ड ।

प्रातिलिपि सूचनार्थ

1. महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. के निजी सचिव, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली ।
2. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) के निजी सचिव, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली ।

